भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1578
दिनांक 29 जुलाई, 2025/ 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग

1578. श्री गिरिधारी यादवः
श्री रामप्रीत मंडलः
श्री दिनेश चंद्र यादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डीपफेक तकनीक आजकल एक बहुत खतरनाक हथियार बन गई है;

(ख) क्या डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की छवि और करियर को खराब करने के लिए किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या देश में डीपफेक तकनीक के विरुद्ध कोई विशेष कानून है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई प्रभावी कानून लाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): डीपफेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा संचालित गलत सूचना/दुष्प्रचार है, जो डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, गरिमा और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए मैन्युपुलेट की गई ऑडियो-विजुअल सामग्री के निर्माण द्वारा जोखिम पैदा करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 में डेटा की अनधिकृत पहुँच से सुरक्षा, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी, गोपनीयता के उल्लंघन, सोशल मीडिया मध्यस्थों आदि पर किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, संग्रहीत या प्रकाशित न करने का दायित्व, आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत वर्गीकृत

गैरकानूनी जानकारी को हटाना, झूठी/भ्रामक जानकारी या अफवाहों आदि के प्रसार के लिए दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।

डीपफेक सहित साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) शुरू किया गया है। एनसीआरपी के तहत, नागरिक संदिग्ध वेबसाइटों/यूआरएल, व्हाट्सएप नंबर/टेलीग्राम हैंडल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एसएमएस हेडर/नंबर, डीपफेक और सोशल मीडिया यूआरएल की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिनका विश्लेषण करने के पश्चात् कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के सहयोग से उचित कार्रवाई की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन) समय-समय पर डीपफेक सहित दुर्भावनापूर्ण सिंथेटिक मीडिया का पता लगाने, लेबल करने और हटाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों के दायित्वों और डीपफेक के खिलाफ सुरक्षित रहने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हैं।
